संचिका सं0 10/गै0यो0–2–01/2015......953(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:– 12/10/2017

विषय:–महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–20–मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –उप मुख्य शीर्ष–06–लोक स्वास्थ्य–लघु शीर्ष– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–उपशीर्ष–0012–महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना अंतर्गत विषय शीर्ष इकाई (21 01) सामग्री एवं पूर्तियाँ–विपत्र कोड–20-2210061010012 के तहत लंबित भुगतान हेतु राज्य के 2 जिलों के महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना निमित कुल राशि 7,10,594/–(सात लाख दस हजार पाँच सौ चौरानवें) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–2017 में राज्य के 38 जिलों के महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना हेतु व्यय निमित स्वीकृति क्रमशः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–600(10), दिनांक–24.08.2015 एवं 398(10), दिनांक–25.07.2016 द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें राज्य के 2 जिलों यथा बेगूसराय एवं पूर्णियां से प्राप्त लंबित भुगतान से संबंधित प्रस्ताव के आलोक में कुल राशि 7,10,594/–(सात लाख दस हजार पाँच सौ चौरानवें) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017–18 में संगत शीर्ष में उपबंधित राशि से दी जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजनान्तर्गत लंबित भुगतान हेतु संबंधित जिलावार आवंटित राशि की विवरणी इस प्रकार है:–

क्रम	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	पूर्णियां	6,00,246/-
2	बेगूसराय	1,10,348/-
	कुल योग:–	**7,10,594/-**

3. उपरोक्त राशि से संबंधित लंबित मूल अभिश्रवों के जाँचोपरान्त अतिरिक्त आवंटन के रूप में सिविल सर्जन द्वारा राशि की भुगतान की जाएगी । राशि के अनियमित निकासी के लिए संबंधित सिविल सर्जन पूर्णतः जवाबदेह होंगे ।

E/Dep-10. N.K.> Rajyadesh_Awanatandesh_Chasma Vitran Rajdesha. doc

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.4.98 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

5. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–20–मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–उप मुख्य शीर्ष–06–लोक स्वास्थ्य–लघु शीर्ष–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–उपशीर्ष–0012–महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना–विषय शीर्ष इकाई (21 01) सामग्री एवं पूर्तियाँ–विपत्र कोड– 20-2210061010012 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा ।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन जिले के संबंधित सिविल सर्जन द्वारा की जाएगी एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

7. संबंधित सिविल सर्जन राशि की निकासी कर व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजते हुए इसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. राशि की निकासी जिले के संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी।

10. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12/10/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः–10/गै0यो0–2–01/2015......953 (10) /स्वा0,पटना, दिनांकः– 12/10/2017

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर एवं पूर्णियां/जिला पदाधिकारी, पूर्णियां एवं बेगूसराय/सिविल सर्जन, पूर्णियां एवं बेगूसराय/कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियां एवं बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 10 एवं 7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

12/10/17

सरकार के विशेष सचिव ।